छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00110

श्री मोतीलाल वर्मा विरूद्ध श्रीमती नेहा सिंह पति श्री पंकज सिंह, मेसर्स अंश बिल्डर्स, अंबिकापुर

प्रोजेक्ट–बरसाना रेसीडेन्सी, सूरजपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
14/12/18		

– प्रकरण प्रस्तुत।

– प्रकरण में आवेदक अपने पुत्र के माध्यम से उपस्थित।

– अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित।

– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक के ग्राम–ठाकुरपुर, तह.–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "बरसाना रेसीडेन्सी" में प्लॉट/मकान क्रय करने हेतु रूपये 32,00,000/– में सौदा कर, दिनाँक 07.02.2015 को इकरारनामा निष्पादित किया गया था। आवेदक का कथन है कि उसके द्वारा अनावेदक को अब तक कुल रूपये 11,05,000/– का भुगतान किया जा चुका है। आवेदक ने यह भी कथन किया है कि प्रश्नाधीन प्लॉट/मकान हेतु अनावेदक को दी गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक को भुगतान की गई संपूर्ण राशि रूपये 11,05,000/– लौटाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिसे आवेदक ने भी प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया।

– अनावेदक द्वारा दिनाँक 14.12.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उक्त संपूर्ण राशि आवेदक को निम्नानुसार पोस्ट डेटेड चेक्स के माध्यम से लौटाया गया। साथ ही इन चेक्स की छायाप्रति भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।

चेक क्रमांक	दिनाँक	राशि
चेक क्रमांक–841545	29.12.2018	1,00,000/–
चेक क्रमांक–841547	29.01.2019	2,50,000/–
चेक क्रमांक–841549	28.02.2019	4,41,373/–
चेक क्रमांक–841551	30.03.2019	7,55,000/–
	कुल	**15,46,373/–**

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00098

श्री मोतीलाल वर्मा विरूद्ध श्रीमती नेहा सिंह पति श्री पंकज सिंह, मेसर्स अंश बिल्डर्स, अंबिकापुर प्रोजेक्ट–बरसाना रेसीडेन्सी, सूरजपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– आवेदक ने भी उक्त सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त होने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष सहमति व्यक्त की है। – प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से अनावेदक द्वारा प्रदत्त चेक अनादरित होता है, तो आवेदक प्राधिकरण के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। – प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर